कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

पत्र संख्या- 429 / 331 दिनांक, मिर्जापुर,अगस्त 24, 2021.

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,
एन0सी0सी0, सोनभद्र।

विषयः नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत WTP हेतु वन भूमि एवं ग्राम सभा की भूमि के पारस्परिक हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः 1-कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र का पत्रांक 1048/डीएलआरसी-वन भू0हस्ता0/2020 दिनांक 6-1-2021.
2-प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर का पत्रांक 738/मीरजापुर/15, दिनांक 21-8-2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र संख्या-1 के कम में नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत डब्लू.टी.पी. हेतु ग्राम कनछ में ग्रामसभा की भूमि न होने के कारण आराजी संख्या 4ग जो सुरक्षित वन खाते की भूमि है, में पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु कुल रकबा 6.4325 हे0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के लिए प्रस्तावित है। वन भूमि के बदले वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर के कार्यक्षेत्रान्तर्गत गैर वन भूमि ग्राम लोहरा, परगना अहरौरा, तहसील राबर्ट्सगंज की आ0सं0 166 मि0 रकबा 13.2530 हे0 श्रेणी-5 नई परती खाते में दर्ज है, चिन्हित की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर का पत्रांक 738/मीरजापुर/15, दिनांक 21-8-2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने वाली भूमि ग्राम लोहरा, परगना अहरौरा, तहसील राबर्टसगंज की आ0सं0 166 मि0 रकबा 6.4325 हे0 की संयुक्त जॉच प्रभागीय कार्यालय से श्री लालवदन वर्मा, मानचित्रकार, श्री स्वयंबर प्रसाद, वन दरोगा, सुकृत रेंज, जल जीवन मिशन के प्रतिनिधि-उमेश कुमार पाठक, क्षेत्रीय लेखपाल श्री राजेश टण्डन एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी, सुकृत द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 21-8-2021 को किया गया, उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी संयुक्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि 6.4325 हे0 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 के सीमा अन्तर्गत है, जो वन भूमि है। उक्त के कम में उनके कार्यालय पत्रांक 3038/15 दिनांक 05-02-2021 द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं 10 वर्षीय क्षतिपूरक वनीकरण का प्राक्कलन निरस्त कर दिया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर द्वारा प्रेषित संदर्भगत पत्र सं0-2 सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु ग्राम कनछ के आ0सं0-4ग में प्रस्तावित 6.4325 हे0 वन भूमि के बदले वन विभाग के पक्ष में 6.4325 हे0 गैर वन भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि इस स्तर से अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।

संख्या- 429 /331 समदिनांक।

प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी, सोनभद्र को संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष जायसवाल)
प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

पत्रांक– 738 /मीरजापुर/15 , दिनांक, मीरजापुर, अगस्त, 21 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

विषय– नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत WTP हेतु वन भूमि एवं ग्राम सभा की भूमि के पारस्परिक हस्तान्तरण के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ– आपका पत्रांक–410/33–1 दिनांक 18.08.2021 ।

महोदय,

विषयक के सम्बन्ध में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि नमामि गंगे स्वच्छ पेयजल योजना के अन्तर्गत पटवध ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत WTP हेतु ग्राम–कनछ में ग्रामसभा की भूमि न होने के कारण आराजी संख्या–4ग जो सुरक्षित वन खाते की भूमि है, में पटवध ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु कुल रकबा 6.4325 हे0 राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के लिये प्रस्तावित है। वन भूमि के बदले वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करने हेतु गैर वन भूमि ग्राम–लोहरा, परगना– अहरौरा, तहसील–रार्बट्सगंज की आराजी संख्या–166 मि0 रकबा 13.2530 हे0 श्रेणी–5 नई परती खाते में दर्ज है, चिन्हित की गयी है, जिसमें से आराजी–166 मि0 रकबा 6.4325 हे0 भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करने हेतु पुर्नग्रहण की कार्यवाही की गयी जो ग्राम–लोहरा, सुकृत रेंज के अन्तर्गत है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने वाली भूमि ग्राम–लोहरा, परगना–अहरौरा, तहसील–रार्बट्सगंज की आराजी संख्या–166 मि0 रकबा 6.4325 हे0 की संयुक्त जॉच प्रभागीय कार्यालय से श्री लालबदन वर्मा, मानचित्रकार, श्री स्वंयबर प्रसाद, वन दरोगा, सुकृत रेंज, जल जीवन मिशन के प्रतिनिधि–उमेश कुमार पाठक, क्षेत्रीय लेखपाल श्री राजेश टण्डन एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी,सुकृत द्वारा द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 21.08.2021 को किया गया, उनके द्वारा उपलध करायी गयी संयुक्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 के आराजी संख्या–66/1 के अन्तर्गत मैप में पाया गया कि प्रस्तावित गैर वन भूमि 6.4325 हे0 भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–20 के सीमा अन्तर्गत है, जो वन भूमि है।

अतः उपरोक्त संयुक्त जॉच रिपोर्ट के आधार पर इस कार्यालय के पत्रांक–3038/15 दिनांक 05.02.2021 द्वारा जारी उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं 10 वर्षीय क्षतिपूरक वनीकरण का प्रॉक्कलन निरस्त किया जाता है।

उक्त के आलोक में प्रस्ताव मूल में संलग्नकर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयक प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रस्ताव में संलग्न अभिलेखों को प्रतिहस्ताक्षरित कर अग्रेतर कार्यवाही किया जा सके।

संलग्नक– प्रस्ताव 05 नग।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि– अपर जिलाधिकारी, सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि– परियोजना प्रबन्धक, एन0सी0सी0, सोनभद्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

D/current file /Setelment letter633

Scanned with CamScanner